

फा. सं. 609/13/2017-डीबीके
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड
प्रतिअदायगी प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवंबर, 2017

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त/महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त तथा आयुक्त,
सीबीईसी के तहत सभी |

महोदय/महोदया,

विषय: प्रतिअदायगी देने के प्रयोजन हेतु नमूने लेने के संबंध में।

मुझे परिपत्र संख्या 34/95-सीमा शुल्क दिनांक 6.4.1995, 57/97-सीमा शुल्क दिनांक 31.10.1997 और 25/2005-सीमा शुल्क पर आपका ध्यान दिलाने का निर्देश हुआ है, जोकि प्रतिअदायगी देने के उद्देश्य से नमूनों को लेने के बारे में मौद्रिक सीमा निर्धारित करने और कुछ परिस्थितियों में नमूने लेने की आवश्यकताओं से छूट देने के संबंध में है।

2. इस संबंध में, व्यापार को आगे बढ़ाने और व्यापार करने में आसानी लाने के लिए, बोर्ड ने परिपत्र संख्या 34/95-सीमा शुल्क दिनांक 6.4.1995, 57/97-सीमा शुल्क दिनांक 31.10.1997 और 25/2005-सीमा शुल्क को रद्द करने का फैसला लिया है। निर्यात शिपमेंट्स को जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) में दिए गए जोखिम मानदंडों के अनुसार समुचित प्रक्रिया के अधीन रखा जाना जारी रहेगा। जहाँ भी निर्यात खेपों का मूल्यांकन या परीक्षण के लिए चयन किया जाता है, वहां सीमा शुल्क का अधिकारी जो सहायक या उप आयुक्त रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर नमूना लेने की आवश्यकता को निर्धारित करेगा। चूंकि नमूनों की टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मामले को फाइनल करने पर ही प्रतिदायगी का भुगतान होता है इसलिए वरिष्ठ स्तर पर नियमित निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि नमूनों को केवल जहां आवश्यक हो वहीं लिया जाए और नियत समय में मामले को बंद कर दिया जाए तथा यह अवधि जिस दिन निर्यात हो गया है, उस तारीख से तीस दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। कस्टम अधिकारी किसी विशिष्ट आसूचना या दुरुपयोग, धोखाधड़ी आदि के संदेह के मामले में नमूने ले सकते हैं।

3. व्यापार और अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त सार्वजनिक सूचना और स्थायी आदेश जारी किए जाएं। कोई भी कठिनाई आने पर बोर्ड को सूचित किया जाए।

भवदीय,

(दिपीन सिंगला)
विशेष कार्य अधिकारी (प्रतिअदायगी)